


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 57/2019

तारीखरजु:- 18.6.19

उनवान:- मिश्रया बनाम फूल्या वगै०

दावा वावत तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
18.6.19	<p>वादी की ओर से श्री जितेन्द्र तिवाडी एडवोकेट ने दावा वावत तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53,188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्पन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्पन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 12.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
12.7.19	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1 से 9 एवं 15 तक नहीं है, प्रतिवादी नं. 11 से 14 के सम्पन वापिस प्राप्त नहीं है। P.O. सी० करौली पदारे की आर्डर दिनांक 9.8.19 को पेश हो।</p>
9.8.19	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 10 की ओर से श्री रामगोपी गुप्ता ADV नि मिले पेश किया। P.O. सी० करौली पदारे की आर्डर दिनांक 4.9.19 को पेश हो।</p>
4.9.19	<p>वकूलाय उप०। प्रतिवादी नं. 10 का वकालतनामा अजबब पेश किया। जबाब की प्रति वादी वकील ने प्राप्त की। प्रतिवादी नं. 1 से 9 एवं 15 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वादी वकील प्रतिवादी नं. 11 से 14 के पुनः सम्पन तलबाना पेश करे। दिनांक 30.9.19 को पेश हो।</p>
30.9.19	<p>वकूलाय उप०। पुनः सम्पन तलबाना पेश करे। वास्तु तलबी दिनांक 25.10.19 को पेश हो।</p>
25.10.19	<p>पत्रावली पेश हुई। वाद की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। अगला पेश दिनांक 28.11.19 को पेश हो।</p>

2190-2204
18.6.19



5/23

वाकील/वाकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी.....
पत्रावली गतानुसार दिनांक.....
को पेश हो।

17-7-23

पत्रावली पेश हुई। खरीब पत्राकारण उपस्थित
रहनीयता के कारण से वरिष्ठ रिपोर्ट पेश
नहीं हुई है। वरिष्ठ इन्त भाग ~~के~~
दिनांक 23-8-23 को पेश हो।

23-8-23

वाकील/वाकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी.....
पत्रावली गतानुसार दिनांक.....
को पेश हो।

28.8.23

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी फूलिया उप०, वादी वकील
व वादी को बार-बार जवाब देना पर भी उपस्थित
नहीं हुआ। प्रतिवादी फूलिया ने वादी मित्रों को दिनांक
13/5/2023 को फॉट होना बताया जिसका प्रत्यक्ष
पत्र पेश किया जो आगे पत्रावली किया गया। वादी
वकील के अडम एजडी रहे से पत्रावली इन्की स्तर
पर अडम एजडी- अडम एजडी खरीज की जाती है।
अतः पत्रावली अडम एजडी अडम एजडी खरीज
होने से पत्रावली फेशल शुमार नम्बर से कम होकर
पारिवेक पफ्टर हो।

(5)

उपजिला कलक्टर
दोडाभीम (करौली)